संख्या– 668 /VI-2/2011–71(11)2011

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर, 2011

विषयः– राज्य संरक्षणाधीन स्मारक/स्थल दांदणी विकास खण्ड खिर्सू, जनपद पौड़ी गढ़वाल में पौराणिक शिव मन्दिर के पुस्ता निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–756/सं0नि0उ0/तृतीय–9/2011–12 दिनांक 20 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनोदश सं0–422/VI–2/2011– 71(6)2011 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 के क्रम में 29– अनुरक्षण व्यय मानक मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 लाख जो पूर्व में ही आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है, के सापेक्ष राज्य संरक्षणाधीन स्मारक/स्थल दांदणी विकास खण्ड खिर्सू, जनपद पौड़ी गढ़वाल में पौराणिक शिव मन्दिर के पुस्ता निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित आगणन ₹5.14 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹4.98 लाख (₹ चार लाख अट्ठानबे हजार) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा। उक्त कार्यो हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्थाओं से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।

.....(2)

4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0 वि0 द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाय।

10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

13. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. आगणन में प्राविधनित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

13. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की

.....(3)

स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य को प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायोगा।

16. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–103–पुरातत्व विज्ञान–03–पुरातत्व अधिष्ठान–29–अनुरक्षण व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

17. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–175(P)XXXVII(3)/2011–12 दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 668 /VI-2/2011–71(11)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. क्षेत्रीय पुरात्तव अधिकारी, पौड़ी।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।